ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292, REG. No.: 561/2013-2014 Vol.-2, No.-2, **PP-168-171**,YEAR-2015

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा की दशा एवं दिशा

❑ **डॉ0 एन.के. सिन्हा**
❑❑ **डॉ0 रोमा श्रीवास्तव**

सारांश– *शिक्षा किसी राष्ट्र की मेरुदण्ड होती है। वह भूतकाल की उपलब्धियाँ तथा वर्तमान परिस्थितियों का संधि–स्थल ही नहीं, ऐसा आलोक भी है जिसमें भविष्य की रूपरेखा तैयार होती है। इसीलिये कहा गया है कि – 'नहिं ज्ञानेन सदृश्य पवित्रामिद् विद्यते', अर्थात् इस पृथ्वी पर ज्ञान के सदृश्य दूसरी पवित्र वस्तु नहीं है। वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज के लिए अन्तहीन यात्रा है। भारत विजन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में है किन्तु 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 89 करोड़ 55 लाख लोग अर्थात् 74.0 प्रतिशत जनसंख्या की साक्षर है। अभी 31 करोड़ 45 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें साक्षर बनाने की आवश्यकता है। 1951 से 1971 की जनगणना में साक्षरता दर 5 वर्ष तथा अधिक की आयु जनसंख्या से सम्बन्धित थी। 1981 से 2011 तक की जनगणना में साक्षरता दर 7 वर्ष तथा अधिक की आयु वाली जनसंख्या से सम्बन्धित है। 1951 में भारत की केवल 18 प्रतिशत आबादी ही साक्षर थी। सरकारी प्रयासों से इसमें वृद्धि हुई जहाँ 2001 में साक्षरता 65.38 थी, वहीं 2011 जनगणना में बढ़ कर 74.04 हो गई। आज वर्तमान में यह बढ़कर लगभग 75 प्रतिशत हो गई है।*

सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा था कि वर्ष तक 15 से 35 वर्ष की आयु में कोई भी निरक्षर न रहे तथा 6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग में सभी को प्राथमिक शिक्षा मिले । इसी उद्देश्य के तहत ''ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड'' नामक विशेष कार्यक्रम चला कर प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधायें जुटानें तथा शिक्षकों की संख्या बढ़ानें पर ध्यान दिया जाये। शिक्षा के स्तर में सुधार के उद्देश्य से ही सरकार ने 1986 ई. में नई शिक्षा नीति घोषित की जिसमें 1992 ई में संशोधन किया गया । जिसकी निम्नलिखित विशेषतायें थीं –

1. सबके लिये शिक्षा
2. पाँचवी कक्षा तक मुत तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा
3. प्राथमिकता प्राप्त समूहों (बालिकाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों) को शिक्षा ।

शिक्षा पर सरकारी तथा गैर–सरकारी खर्च में वृद्धि रिकार्ड की गई जो किसी भी दशक में हासिल की गई अधिकतम वृद्धि थी जो समयानुसार बढ़ती जा रही है।

उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप –

आज आजादी के 68 वर्ष बाद भी हम अपने युवाओं को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करवाने में सफल नहीं हो पायें हैं इसका क्या कारण हैं, यह चिन्तन का विषय है । क्योंकि आज भी हमारे अधिकांश शिक्षण संस्थान गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं । ऐसा नहीं है कि विगत कुछ वर्षो में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु कोई प्रयास न किया गया हो । देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु अनेक आयोग एवं समितियाँ गठित की जा चुकी हैं । हजारों राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठिटयों का आयोजन भी किया जा रहा है, फिर भी उच्च शिक्षा व्यवस्था में विशेषकर उच्चतर शिक्षा की स्थिति में कोई प्रभावी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है । यू.जी.सी. भी समय–समय पर ऐसे संशोधन करती है जिससे यह प्रतीत होता है कि उसे गुणवत्ता नहीं अपने लोग शिक्षा व्यवस्था में चाहिए । किन्तु पी.एच.डी. की गुणवत्ता के लिए विनियम 2009, एक अच्छा निर्णय है तथा नेट की अनिवार्यता इसका सही और ठोस कदम है।

❑ असि.प्रो.–समाजशास्त्र विभाग, चौ. चरण सिंह पी.जी. कालेज, हेंवरा–सैफई, इटावा (उ.प्र.) भारत
❑❑ असि.प्रो.–बी.एड. संकाय, भगवंती एजू. सेन्टर डिग्री, कालेज, मंधना, कानपुर (उ.प्र.) भारत

देखा जाये तो भारत का उच्च शिक्षा व्यवस्था में विश्व में तीसरा स्थान है अर्थात् हमारा स्थाना अमेरिका और चीन के बाद आता है । यदि आँकड़ों की बात करें तो आँकड़ों में हमने (भारत) ने अच्छी खासी बढ़त हासिल की है । सैकड़ो यूनीवर्सिटी और हमारों स्नातक एवं परास्नातक स्तर के महाविद्यालय खुले हैं और खुल रहे हैं किन्तु इस मात्रात्मक वृद्धि के सापेक्ष गुणात्मक वृद्धि क्षेत्रवाद, भाषावाद की बलि चढ़ रही है जो अत्यंत ही निराशाजनक है । भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्व. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि ''मैं समस्त कार्पोरेट क्षेत्र से अपील करता हूँ कि सरकारी संसाधनों को बढ़ाने के लिए वे शिक्षा के महत्व पर जोर देने वाले उन कुछ कार्पोरेट प्रमुखों द्वारा स्थापित संस्थाओं के उदाहरण का अनुकरण करें जिन्होंने राष्ट्र के लाभ के लिए समग्र राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत कार्पोरेटों द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों को गोद लिया जा सकता है । इस प्रणाली से व्यक्ति को कुछ नया करने और देने की स्वतंत्रता दी जा सकती है ।''

शिक्षा के बदलते स्वरूप में स्ववित्तपोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में परम्परागत पाठ्यक्रम एवं व्यवसायिक पाठय्क्रमों को पाठ्यक्रमानुसार विभिन्न शासन द्वारा स्वायत्त संस्थानों (यू.जी.सी., एन.सी.टी.ई. ए.आई.सी.टी.ई, एम.सी.आई., डी.सी.आई, एन.सी.आई. आदि) से अनुमोदन प्राप्त करके विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होकर शिक्षण कार्य को संचालित करते हैं । उत्तर प्रदेश में अनेक प्राईवेट विश्वविद्यालयों में 'मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, एमिटी नोएडा, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ, तीर्थांकर विश्वविद्यालय मथुरा इत्यादि अनेक संस्थायें स्थापित हुई हैं । इसके अतिरिक्त भारत के प्रमुख उद्योगपतियों ने राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है जो कि राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बुद्धिजीवी वर्ग को तैयार करती है । इनमें कुछ संस्थायें निम्न हैं – निरमा इंस्टीट्यूट, बिड़ला इंस्टीट्यूट, मोदी इंस्टीट्यूट, धीरूभाई अम्बानी इंस्टीट्यूट, सहारा इंस्टीट्यूट, जे.के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, नारायणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इत्यादि । प्रो. बी.एम.नाईक ने निजीकरण के सकारात्मक पहलू पर बल देते हुए कहा है कि भारत के लिए प्राईवेट विश्वविद्यालय नवीन हैं परन्तु अमेरिका में इस प्रकार के विश्वविद्यालय सैकड़ों वर्षों से चल रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर राज्य द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालयों के स्तर से अधिक अच्छा है तथा इनमें शोधकार्य भी श्रेष्ठ होता है । इसका सबसे बड़ा कारण उच्च तकनीकी की प्रयोगशालाओं को होना है । आज की युवा पीढ़ी ऐसे प्राईवेट संस्थानों में जाना अधिक पसंद करती है । यह शिक्षा का बदलता स्वरूप ही है ।

उच्चतर शिक्षा का प्रसार व संकट –भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल उच्चतर शिक्षा का युग है । इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ । जहाँ 1977–78 में उच्चतर शिक्षा की संस्थायें लगभग 9000 व विश्वविद्यालयों की संख्या 125 तथा अनुसंधान संस्थायें 47, सामान्य शिक्षा के कॉलेज 3848 व व्यवसायिक शिक्षा के 3428 कॉलेज थे तथा जिसमें 565000 विद्यार्थी भर्ती थे उस समय उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों की संख्या भी लगभग 235000 थी। जे.पी. नायक ने टिप्पणी की है कि – उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सकट जारी रहना एक आश्चर्य की बात है। शिक्षित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। विद्यार्थियों की प्रेरणाशक्ति शिथिल हुई है। विश्वविद्यालय क्षेत्रों में अराजकता और अनुशासनहीनता भी बढ़ी है। प्रशासन में अक्सर गतिरोध उत्पन्न होता रहा है। जो कुछ किया जा रहा है वह निरुद्देश्य और विघटनकारी है।[1]

योजना आयोग (वर्तमान में नीति–आयोग) के भूतपूर्व सदस्य श्री जे.डी. शेट्टी ने अपनी पुस्तक ''भारत में उच्चतर शिक्षा का संकट और विघटन'' में कहा है कि सामान्यतः प्रचलित मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रतिवर्ष 6 से 7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । शिक्षा पर सरकारी व्यय 11 से 12.5 प्रतिशत तक बढ़ा है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में 3.5 से 4.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति खर्च में 9 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । कोई भी यह नहीं कह सकता कि सरकार या आयोजकों ने शिक्षा को पर्याप्त धन नहीं दिया।[2]

जनसंख्या और आर्थिक आवश्यकताओं के

अनुपात में भारत की वैज्ञानिक मानव शक्ति अभी भी अपेक्षाकृत कम है। प्रति एक हजार की आबादी में वैज्ञानिकों और तकनीकी व्यक्तियों की संख्या 9.6 है जबकि इसकी तुलना में अमेरिका में 18, जर्मनी में 22 व रूस में 100 और जापान में 200 से ऊपर है।[3] इसी प्रकार प्रति एक हजार की आबादी में हमारे देश में अनुसंधान और विकास में लगे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या केवल 3.6 है जबकि इसकी तुलना में अमेरिका में 9.0, जर्मनी में 9.0, रूस में 12.0 तथा पोलैण्ड में 15.0 है।[4]

अतः स्पष्ट है कि उच्चतर शिक्षा का मामला चिन्ता का विषय है । एक ओर तो हमें अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता है और दूसरी ओर माध्यमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि हो रही है । शेट्टी के अनुसार ''एक साधारण स्नातक तैयार करने में प्रति वर्ष 10 से 15 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है ।

उच्चतर शिक्षा के अन्तर्गत समस्यायें –उच्चतर शिक्षा की मुख्य समस्यायें निम्नलिखित हैं –

1. स्थिति निर्धारण की समस्या जो निम्न रूपों में देखने को मिलती है –
   - (अ) परिमाण बनाम गुणवत्ता
   - (ब) समानता बनाम दक्षता
   - (स) मूल्य बनाम उपयोगिता
   - (द) वचनबद्धता बनाम निर्लिप्तता (अलगाव)
2. वर्ण्य विषय की समस्या –
   - (अ) एकीकरण और विभेदीकरण
   - (ब) अध्ययन और अध्यापन
   - (स) विशेषता और सामान्यीकरण
3. प्रबन्ध की समस्या –
   - (अ) केन्द्रीकरण और प्रकीर्णन
   - (ब) स्वायत्तता और उत्तरदायित्व
   - (स) लोकतंत्र और केन्द्रीकरण
   - (द) मूल्यांकन और प्रत्यायन

उपरोक्त समस्याओं के कारण उच्चतर शिक्षा की स्थिति दयनीय है किन्तु इसमें उत्तरोत्तर सुधार के लिए सरकार प्रयासरत भी है । नई शिक्षा नीति, शिक्षा के अधिकार के अलावा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं । उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में यू.जी.सी., आई,सी.एस.एस.आर. तथा राज्य स्तर की संस्थायें महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा विकलांगों की शैक्षणिक स्थितियों बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए तथा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापरक करने में अनेक परिवर्तन व प्रयोग कर रहे हैं ।

निष्कर्ष एवं सुझाव –

उच्चतर शिक्षा के लिए रोजगार तथा सामाजिक क्षेत्र में सभी वर्गों का योगदान हो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा को लचीला बनाया जाय, जिससे इस पर किसी एक वर्ग का आधिपत्य न हो । शिक्षा समाज की आबादी के विशेष वर्ग की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने सहायक एवं महत्वपूर्ण घटक है । शिक्षा के कारण शिक्षित जनता में सांस्कृतिक विविधता कम हुई है और उनकी एकरूपता में वृद्धि हुई है । इसलिए शिक्षा ने मूल्यों, प्रवृत्ति, जीवनशैली में परिवर्तन करने और समाज में नये विचारों का विकास करने में सार्थक योगदान किया है।

वर्तमान शिक्षा के लिए मेरे कुछ निम्न सुझाव हैं –

1. वर्तमान शिक्षा मूल्यपरक होनी चाहिए जिसकी संकल्पना से शिक्षकों को अवगत कराने और इस ओर उनकी रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण का व्यापक कार्यक्रम चलाना चाहिए ।
2. पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार की सामग्री समाविष्ट हो जिससे छात्रों में ज्ञान के साथ–साथ सत्य, सदाचार, प्रेम, शान्ति, अहिंसा आदि मानव मूल्यों का अभियंत्रीकरण हो ।
3. वर्तमान शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्यपुस्तकों की भाषा शैली विद्यार्थियों के वयक्रम के अनुरूप होनी चाहिए।
4. वर्तमान शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानक पुस्तकें, उच्च स्तरीय प्रयोगशालायें तथा अन्य सहायक सामग्री प्रत्येक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उपलब्ध होनी एवं करानी चाहिए।
5. विद्यार्थियों से एक स्मृति पुस्तिका तैयार कराई जाय तथा इस पुस्तिका की प्रगति की जाँच समय–समय पर की जाय ताकि छात्रों द्वारा पारस्परिक अनुकरण की

प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा सके ।

6.उच्चतर शिक्षा में भाषा शिक्षण के कुछ नये आयाम जोड़ने चाहिए ।

7. पब्लिक स्कूलों की तरह महाविद्यालयों में भी अभिभावक दिवस तथा छात्र–अभिभावक तथा शिक्षक मीटिंग होनी चाहिए ताकि उनका सक्रिय सहयोग वर्तमान मूल्यपरक शिक्षण में प्राप्त हो सके ।

8. शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के मनोबल एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने एवं आदर्शोन्मुख करने के लिए श्रेष्ठ कार्य संस्कृति की ओर उन्मुख करना चाहिए।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य समाज में नियंत्रण बनाये रखना भी है । सामाजिक विकास के साथ–साथ नियंत्रण एवं अन्य साधन व्यक्ति के प्रति कठोरता बरत सकते हैं जैसे – प्रतिशोध की भावना को कम करना तथा विकास और प्रगति को बढ़ाना । शिक्षा व्यक्ति में तर्क एवं विवेक पैदा करती है । उसमें आत्म नियंत्रण की शक्ति पैदा करती है जिससे व्यक्ति स्वयं ही उचित एवं अनुचित को ध्यान में रखकर सामाजिक नियमों, प्रतिमानों एवं कानूनों का पालन करता है ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. नायक, जे.पी. – दि एजूकेशन कमीशन एंड आटर, अलाइड पब्लि., नई दिल्ली, 1992 पृ.–163।
2. शेट्टी, जे.डी. – भारत में उच्चतर शिक्षा का संकट और विघटन, विकास पब्लि. नई दिल्ली, 1993 पृ.–42।
3. नायक, जे.पी. – दि एजूकेशन कमीशन एंड आटर, अलाइड पब्लि., नई दिल्ली, 1992 पृ.–44।
4. वही, पृ.–74 ।

*****